न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

महेश चंद पुत्र स्व0 श्री केदार लाल जाति महाजन (अग्रवाल) आयु 55 साल निवासी सत्यवती विहार, करौली तहसील व जिला करौली – अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील करौली जिला करौली – प्रत्यर्थी

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 30.11.2018 मुकदमा उनवानी सरकार जरिये पटवारी हल्का करौली–9 बनाम महेश चंद प्रकरण संख्या 230/2018

निर्णय

दिनांक–04.12.2019

यह अपील भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नं. 5323 पटवार हल्का 9 कस्बा करौली जो मंदिर गोविन्द देव जी महाराज (देवताओं से संबंधित जोत) के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, पर अपीलार्थी द्वारा रकबा 66.66 वर्गगज पर अवैध/बिना अनुमति के दो गह पाटौर का निर्माण व खाली भूमि कर कब्जा कर नियम विरुद्ध निर्माण किया गया है, की पटवारी हल्का–9 कस्बा करौली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा अतिक्रमण की पुष्टि किये जाने पर अपीलाण्ट के विरुद्ध धारा 91 एल.आर. एक्ट 1956 के तहत तहसीलदार करौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2018 के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोण्डेण्ट की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

एडवोकेट अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि मातहत अदालत द्वारा उक्त निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरीत प्राकृतिक सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को नजर अंदाज करते हुये पारित किया गया है, जो निर्णय आरवेट्री एवं पारवर्शी होने के कारण काबिल मंसूख है। मातहत् अदालत् द्वारा प्रार्थी अपीलाण्ट को जो नोटिस तारीख पेशी पर उपस्थित होने हेतु जारी किया गया था, उस नोटिस में प्रार्थी अपीलाण्ट के विरूद्ध कतई गलत तथ्य अंकित किये गये थे, जो तथ्य मौका पटवारी रिपोर्ट के भी विपरीत अंकित किये गये थे। जिस नोटिस की प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा मातहत् अदालत में सही तथ्यों के साथ दिनांक 16.11.2018 को अपनी जबावदेही मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी गयी थी और जिस जबावदेही के प्रस्तुत हो जाने के बाद मातहत अदालत द्वारा प्रार्थी अपीलाण्ट को साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने हेतु कोई मौका नहीं दिया गया और ना ही उक्त प्रकरण में प्रार्थी अपीलाण्ट की ओर से बहस सुनी गयी और प्राकृतिक सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुये दिनांक 30.11.2018 को प्रार्थी अपीलाण्ट एवं उनके वकील साहब की जानकारी में लाये बिना तारीख पेशी दिये उक्त निर्णय पारित कर दिया गया, जो निर्णय कतई विधि–प्रतिकूल हैं और प्राकृतिक सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुये विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है इसलिये उक्त आदेश मातहत् अदालत् काबिल् मंसूख है। मातहत अदालत ने उक्त पत्रावली में दिनांक 16.11.2018 को तारीख पेशी 26.11.2018 की नियत की गयी थी और जिस तारीख पेशी पर मातहत् अदालत द्वारा चुनाव कार्य में व्यस्त होने के कारण कोई आगामी तारीख पेशी उक्त पत्रावली में नहीं दी गई थी बल्कि पूछने पर रीडर साहब द्वारा यह कहा गया कि ''पी.ओ. साहब राज. विधानसभा चुनाव कार्य में व्यस्त चल रहे हैं और पत्रावली उन्हीं के पास में है इसलिये चुनाव हो जाने के बाद आगामी तारीख पेशी बता दी जायेंगी।'' जिस पर प्रार्थी अपीलाण्ट एवं वकील साहब द्वारा विश्वास किया गया लेकिन मातहत अदालत द्वारा उक्त पत्रावली में बिना प्रार्थी अपीलाण्ट एवं वकील साहब को सुने उक्त निर्णय पारित कर दिया गया और जिस निर्णय पर निर्णय पारित करने की तिथि दिनांक 30.

11.2018 अंकित कर दी गयी, जिस निर्णय की प्रार्थी अपीलाण्ट को दिनांक 17.12.2018 को राज. विधानसभा चुनाव सम्पन्न हो जाने के बाद आगामी तारीख पेशी के बाबत् जानकारी करने पर हुयी और जानकारी होते ही प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा अपने वकील साहब के माध्यम से निर्णय की एवं अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के वास्ते मातहत अदालत में अर्जी प्रस्तुत की गयी और दिनांक 20.12.2018 को मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय व अन्य दस्तावेजातों की नकलें प्राप्त हुई, तब प्रार्थी अपीलाण्ट को मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी हुई, इससे पूर्व प्रार्थी अपीलाण्ट को मातहत अदालत द्वारा पारित उक्त निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी, तब यह अपील निर्णय की जानकारी होने पर माननीय न्यायालय में प्रार्थी अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत की है। नोटिस में वर्णित आराजी खसरा नं. 5322 रकबा 2 विस्वा एवं खसरा नं. 5323 रकबा 13 विस्वा स्थित कस्बा करौली–9 के किसी भी भू–भाग पर प्रार्थी अपीलाण्ट का कोई कब्जा शुरू से आज तक नहीं रहा है और ना ही आज है और ना ही प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा उक्त आराजीयात् के किसी भू–भाग पर नोटिस में वर्णित व्यावसायिक दुकान एवं रिहायशी मकान वगै. का निर्माण कार्य 20X30 फीट आराजी को दबाते हुए नहीं किया गया है और ना ही मौके पर व्यावसायिक दुकान व रिहायशी मकान वगै. का कोई अस्तित्व है। जिस निर्माण के अस्तित्त होने के बाबत् पटवारी हल्का द्वारा जो एकतरफा में मौका मुआयना किया गया था, उसमें भी अविकथन नहीं किया गया, फिर भी इसके बावजूद प्रार्थी अपीलाण्ट के विरुद्ध उक्त निर्णय पारित करने में मातहत अदालत द्वारा कानूनी भूल की है इसलिये मातहत अदालत द्वारा काबिल मंसूख है। मातहत अदालत ने उक्त निर्णय पारित करते समय इस तथ्य पर भी कतई गौर नहीं किया गया कि उक्त आराजी खसरा नं. 5322 में से 200 वर्गमीटर एवं खसरा नं. 5323 में से 800 वर्गमीटर भूमि को भारत सरकार द्वारा निर्मित करवाये जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 11–बी (गंगापुर–धौलपुर) में सड़क की चौड़ाई बढ़ाये जाने के उद्देश्य से अवाप्त कर लिया गया है और जिसका गजट नोटिफिकेशन भी दिनांक 17.04.2017 को जारी कर दिया गया है तथा जिस गजट नोटिफिकेशन का प्रकाशन दिनांक 12.05.2017 को आमजन को सूचनार्थ हेतु राष्ट्रदूत समाचार पत्र वगै. में भी प्रकाशित कर दिया गया है। जिस अवाप्त किये गये रकबे को देय नोटिस में मातहत अदालत द्वारा कम नहीं किया गया है। जिस सड़क के संदर्भ में पटवारी हल्का द्वारा जो एकतरफा में दिनांक 25.10.2018 को मौका मुआयना किया गया था, उस मौका रिपोर्ट के बिन्दु नं. 4 पर यह स्पष्टतः अविकथन किया गया कि ''जो आम सड़क केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 11–बी (गंगापुर–धौलपुर) को वर्तमान सड़क को चौड़ा करते हुए निर्माण कार्य करवाया गया है, उसमें कितनी भूमि अवाप्ति में ली गयी है, उसका कोई नक्शा प्लान प्राप्त ना होने के कारण चौड़ाई की नाप किया जाना संभव नहीं है।'' जिस इबारत में से 'नहीं' शब्द को काटकर यह अविकथन किया गया कि ''चौड़ाई की नाप तभी संभव है।'' इसके बावजूद बिना किसी साक्ष्य एवं आधार के मातहत अदालत द्वारा प्रार्थी अपीलाण्ट के विरुद्ध उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है इसलिये आदेश मातहत अदालत काबिल मंसूख है। पटवारी हल्का मौका एकतरफा रिपोर्ट में किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य करवाया जाना प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा मौके पर नहीं पाया गया था फिर भी इसके बावजूद प्रार्थी अपीलाण्ट के विरुद्ध मातहत अदालत द्वारा उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। पटवारी हल्का मौका रिपोर्ट में जो दो गह की एक मुण्डा पाटौर पोश का होना आराजी खसरा नं. 5323 में बताया गया है, जिस पाटोर पोश पर प्रार्थी अपीलाण्ट का कोई कब्जा नहीं है जिसकी ऊपर की पट्टियां वगै. खुली हुई है और ना ही उक्त पाटौर को प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा निर्मित करवाया गया है। जो पाटोर तीसीयों वर्ष पूर्व की बनी हुई जीर्ण–शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई है जिसको निर्मित करवाये जाने के बाबत् प्रार्थी अपीलाण्ट को कोई जानकारी नहीं है, जिन सभी तथ्यों पर मातहत अदालत द्वारा उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। मातहत अदालत द्वारा प्रार्थी अपीलाण्ट का बिना किसी साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर आराजी खसरा नं. 5323 में 20x30 फीट के परिक्षेत्र पर कब्जा होना विधि के प्रावधानों के विपरीत प्राकृतिक सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए कयासी तौर पर मानने में कानूनी भूल की है। पटवारी हल्का द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रार्थी अपीलाण्ट की जानकारी में लाये बिना प्राकृतिक सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए तैयार की गयी है, उस रिपोर्ट में किये गये सीमांकन के बाबत् कोई मुश्तकिल बिन्दु नहीं बताया गया है और ना ही कोई नक्शा मौका ही रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया गया है और ना ही उक्त

आराजी से लगी हुई आराजी खसरा नं. 5321 की कोई नाप वगै. ही की गई है। उक्त आराजी खसरा नं. 5322 एवं 5323 स्थित कस्बा करौली–9 सरकारी भूमि नहीं है और ना ही यह भूमि सरकारी सिवायचक/चारागाह भूमि की तारीफ में आती है इसलिये ऐसी आराजीयात् पर धारा 91 एल.आर. एक्ट के प्रावधान भी लागू नहीं होते हैं फिर भी इसके बावजूद उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है इसलिये आदेश मातहत अदालत काबिल मंसूख है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि अतिक्रमी के विरुद्ध धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत नियमानुसार कार्यवाही की गई है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र क्रमांक 3(2)राज–6/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.09.2018 के द्वारा जारी नवीनतम निर्देशों के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेंगे जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के विरुद्ध करते हैं तथा मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण हेतु दायित्वाधीन होंगे। अपीलाण्ट का खसरा नं. 5323 पटवार हल्का–9 कस्बा करौली में वर्तमान में भी कब्जा है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। मंदिर गोविन्द देव जी की के नाम दर्ज रिकॉर्ड भूमि (देवताओं से संबंधित जोत) आराजी खसरा नंबर 5323 बाके कस्बा करौली–9 की 20X30 वर्गफुट भूमि पर खदो गह पाटौर का निर्माण कर एवं खाली भूमि पर अतिक्रमण किया गया है जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का कस्बा करौली–9 द्वारा किये जाने एवं अतिक्रमण की पुष्टि भू–अभिलेख निरीक्षक करौली द्वारा किये जाने पर अतिक्रमी/अपीलार्थी के विरुद्ध तहसीलदार करौली द्वारा आदेश दिनांक 30.11.2018 पारित किया गया है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र क्रमांक 3(2)राज–6/2007/ पार्ट/5 दिनांक 12.09.2018 के द्वारा जारी नवीनतम निर्देशों के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेंगे जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के विरुद्ध करते हैं तथा मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण हेतु दायित्वाधीन होंगे। तहसीलदार करौली से प्राप्त मौका कब्जा रिपोर्ट क्रमांक–राजस्व /2019/897 दिनांक 19.11.2019 के अनुसार अपीलार्थी का वर्तमान में भी खसरा नं. 5323 कस्बा करौली–9 में अतिक्रमण है। अपीलार्थी विवादित आराजी पर अपना अतिक्रमण नहीं होना, अथवा अतिक्रमित रकबे को स्वयं की खातेदारी होना, साबित करने में असफल रहा है। इसलिये हम अदालत मातहत के आदेश दिनांक 30.11.2018 में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 30.11.2018 यथावत् रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहनलाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.01.01 11:06:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: